**FROM No. III**

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

पनराम व अन्य बनाम ओमाराम व अन्य

किस्म मुकदमा राज. काश्त. 88, 40, 91, 188 नं. 106/16 सन् 2016

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 15/9/16 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिड़मलराम सियाग ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 88, 40, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 9/11/16 को पेश हो।<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |
| 9/11/16 | पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकान उपस्थित। पीठासीन अधि. कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इन्तजार होकर दिनांक 20/3/17 को पेश हों। [signature] | |
| 20/3/17 | वादीनी वकील उप./प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 33, 34 स्वयं उप./ प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील खेताराम भाखर की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली किया गया शेष प्रतिवादीगण के सम्मन तामील अदम तामील जवाब इन्तजार होकर पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 12/06/2017 को पेश हो।<br>[signature] | ओमाराम<br>खेताराम<br>[thumb impression]<br>खंगाराम |

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:37:42 IST
Reason: SelfAttested

12/06/2017

[illegible] वकुलाय [illegible] अधि[illegible] [illegible] है। मिसल [illegible] 8/8/17 को [illegible]

8/8/17

[illegible] वकुलाय [illegible] अधि [illegible] व्यस्त है। मिसल [illegible] 12/12/17 को [illegible]

12/12/17 वकुलाय फरीकैन उप० / पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए है। अत: मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 23/4/2018 को पेश हो।

23/4/2018

[illegible] हुए। वकुलाय [illegible] पीठासीन अधि कारी [illegible] कार्य में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 20/11/18 को पेश हो।

20/11/18 वकुलाय फरीकैन उप० / वादी वकील शेष प्रतिवादीगण के समक्ष पुन: पेश नहीं किये पेश होने पर जारी हो। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 14/01/19 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:37:42 IST
Reason: SelfAttested

| हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 14/01/19 | पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इत्तला होकर दिनांक 05/3/19 को पेश हों। | |
| 5/3/19 | वकुलाय फरीकैन उप०/अनु० पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः पद रिक्त होने से पत्रावली आगामी दिनांक 18/6/19 को पेश हो। | |
| 18/6/19 | पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इत्तला होकर दिनांक 17/9/19 को पेश हों। | |
| 17/9/19 | पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इत्तला होकर दिनांक 4/11/19 को पेश हों। | |
| 4/11/19 | पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इत्तला होकर दिनांक 19/2/2020 को पेश हों। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:37:42 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इ... |
|---|---|
| 19/2/20 | वादी वकील उप० / प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया आईन्दा पेश करना चाहते हैं वादी वकील द्वारा प्रतिवादी गण की तामील हेतु तलबाना साकर पेश किये जो गये होकर पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 4/3/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु |
| 4/3/2020 | वादी वकील उप०/ प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के वकील उप० जवाब आईन्दा पेश किये जाने हेतु निवेदन किया गया प्रतिवादी संख्या 27, 28 व 42 के समन तामिल शुदा प्राप्त जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया प्रतिवादी संख्या 27, 28 की ओर से स्वयं व कोई उप० नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है शेष प्रतिवादी संख्या 3 से 26 व 29 से 41 को वादी वकील द्वारा गैरजरूरी होने से तर्क किया गया पत्रावली प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जवाब हेतु आईन्दा दिनांक 20/5/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु |
| 20/5/2020 | पत्रावली आज पेश हुई, कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी ... होने से ... दिनांक ... को पेश हो। [initials] |

प्र० सं. 3 से 26 व 29 से 41 को तर्क करता हूं
[signature] AM

26/10/2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:37:42 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| ...-8-2020 | पत्रावली आज पेश हुई। वकुला० इकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी लिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इत्तला होकर दिनांक 26/10/2020 को पेश हो। | |
| 26/10/2020 | वादी व प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा ईकबाली जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या-14 व 26 की फौतगी सूचना मय. कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने का प्रार्थना-पत्र पेश किया गया। प्रार्थना-पत्र फौतगी सूचना का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या-14 व 26 के कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये जाते है। वादी वकील द्वारा संशोधित शिर्षक पेश किया गया जिसे रेकर्ड पर लिया जाता है। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादीनी स्वयं PW-1- चतरू पुत्री किसनाराम पत्नि बिरधाराम जाति-जाट निवासी-खोखर पूर्व हाल हीरा की ढाणी तह०-गिड़ा व स्वतंत्र गवाह PW-2 राजुराम पुत्र गिरधारीराम जाति-जाट निवासी-खोखर पूर्व तहसील-गिड़ा तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं DW-1- गोमाराम पुत्र किसनाराम जाति-जाट निवासी-खोखर पूर्व तहसील गिड़ा जिला-बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-14 व 26 को पूर्व में तई किया गया है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 28/10/2020 को पेश हो। | अं. नि. चतरू<br>राजुराम<br>गोमाराम |

[signature]
सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:37:42 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| 28/10/2020 | वादी व प्रतिवादी संख्या - 1 व 2 के वकील<br>के अधिवक्तागणों श्री<br>उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की संलग्न<br>बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न<br>राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया।<br>बाद अवलोकन वादी का वाद स्वीकार किया<br>जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर<br>शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा<br>जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार कर<br>दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर<br>(SDO) बायतु |

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:37:42 IST
Reason: SelfAttested

# यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

**(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S. )**

राजस्व वाद संख्या– 106/2016

**वादीगण**

1. चतरू पुत्री किसनाराम पत्नी किरपाराम जाति जाट निवासी खोखर पूर्व हाल निवासी हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
2. नेनू पुत्री किसनाराम पत्नी सालूराम जाति जाट निवासी खोखर पूर्व हाल निवासी मानासर तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर
3. अणछी पुत्री किसनाराम पत्नी नारणाराम जाति जाट निवासी खोखर पूर्व हाल निवासी हेमावास, शेरगढ़ जिला जोधपुर
4. पपू पुत्री मोटाराम माता झीमों पुत्री किसना जाति जाट निवासी कुम्पलिया तहसील गिड़ा
5. बाबूराम पुत्र कुम्भाराम माता गवरी पुत्री किसना जाति जाट निवासी खोखर पश्चिम तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
सत्यमेव जयते

**बनाम**

**प्रतिवादी**

1. गोमाराम पुत्र किसनाराम
2. बगताराम पुत्र किसनाराम
3. बजरंगराम पुत्र तुलछाराम
4. रूपाराम पुत्र तुलछाराम
5. शेराराम पुत्र तुलछाराम
6. धनाराम पुत्र किशनाराम
7. शेराराम पुत्र किशनाराम
8. पदमाराम पुत्र किशनाराम
9. गोरधनराम पुत्र किशनाराम
10. भोमाराम पुत्र किशनाराम
11. भोमाराम पुत्र किशनाराम
12. दीपाराम पुत्र किशनाराम
13. चिमाराम पुत्र किशनाराम
14. भैराराम पुत्र विरधाराम फौत के कायम मुकाम
    - 14/1. भोपाराम पुत्र भैराराम
    - 14/2. चूनाराम पुत्र भैराराम
    - 14/3. खरथाराम पुत्र भैराराम
    - 14/4. देवाराम पुत्र भैराराम
15. बलवीर पुत्र केशाराम
16. सुगणीदेवी पत्नी केशाराम प्रतिवादी संख्या 15 बलवीर नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुगणीदेवी पत्नी केशाराम
17. निम्बाराम पुत्र लुम्बाराम
18. सम्पतराज पुत्र लुम्बाराम
19. गंगाराम पुत्र लुम्बाराम
20. दुर्गाराम पुत्र लुम्बाराम
21. रावताराम पुत्र आदूराम
22. मोटाराम पुत्र आदूराम
23. ठाकराराम पुत्र आदूराम
24. हनुमानराम पुत्र आसूराम
25. फातूदेवी पत्नी आसूराम
26. खीयाराम पुत्र वेहनाराम फौत के कायम मुकाम
    - 26/1. मूलाराम पुत्र खींयाराम
    - 26/2. बाबूराम पुत्र खींयाराम
    - 26/3. हरखू पत्नी खींयाराम
27. भूरी पुत्री हीरों
28. बाबू पुत्री हीरों
29. कुम्भाराम पुत्र हुकमाराम फौत के कायम मुकाम
    - 29/1. जवाराराम पुत्र कुम्भाराम
    - 29/2. भवराराम पुत्र [illegible]
    - 29/3. गिरधारी पुत्र [illegible]राम
    - 29/4. प्रकाश पुत्र कुम्भाराम
30. ला[illegible] पुत्र हुकमाराम

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:37:42 IST
Reason: SelfAttested

31. देवाराम पुत्र हुकमाराम
32. चंदाराम पुत्र राजूराम
33. आसूराम पुत्र हरूराम
34. हेमाराम पुत्र हरूराम
35. विरेन्द्र पुत्र हरूराम
36. जवाराराम पुत्र हरूराम
37. हरखाराम पुत्र खेताराम
38. रावताराम पुत्र खेताराम
39. सोनाराम पुत्र सुरताराम
40. चनणाराम पुत्र सुरताराम
41. चौथी पत्नी सुरताराम जाति जाट निवासी खोखर पूर्व तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
42. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिड़ा

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.**

उपस्थित :— 1. श्री रिणछाराम सियाग वकील वादीगण
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2

—: निर्णय :— **दिनांक 28.10.2020**

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 91 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 41 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा खोखर पूर्व पटवार मण्डल खोखर तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 1406 रकबा 155.08 बीघा की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के दादा/नाना मुकना व उसके भाईयों के कब्जे काश्त की होने से वादीगण के दादा/नाना व उनके भाईयों के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा मुकना के फौत होने पर वानीगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व वादीगण संख्या 3 व 4 के नाना किसना पुत्र मुकना का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व नाना स्व. किसना का निरन्तर कब्जा काश्त चलता आ रहा है जिसमें किशना का 1/6 हिस्सा पैतृक खातेदारी का था। वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पिता व नाना किसना का 1/6 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का था तथा किसना के फौत होने के बाद वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण परित किया गया जो नामान्तरकरण अकेले प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम व प्रतिवादी संख्या 27 व 28 की माता के नाम से पारित किया गया जबकि वादीगण संख्या 1 से 3 भी किसना की जाचंदा पुत्रीयां व वादीगण संख्या 4 व 5 किसना की मृतक पुत्रीयां झीमों व गवरी के वारिशान के कारण वादीगण को भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार अंकित करना था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 27, 28 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने व अधिकारों के संरक्षण हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:37:42 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा ईकबाली जवाब दावा पेश जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 27, 28 के विरूद्ध बावजूद शामिल अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 26, 29 से 41 को वादीगण वकील द्वारा सहखातेदार होने से तर्क किया गया। वादीगण वकील द्वारा वाद को साबित करने हेतु साक्ष्य स्वरूप वादीगण संख्या 1 स्वयं का शपथ पत्र PW-1 व स्वतंत्र गवाह राजूराम का शपथ पत्र PW-2 पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वयं का शपथ पत्र DW 1 वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समर्थन में EXP 1 चालूजमाबंदी संवत् 2070–2073, EXP 2 नामान्तरकरण संख्या 544, EXP 3 मिसल बंदोबस्त पेश की।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की वकील को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा/नाना के कब्जे काश्त की थी तथा वादीगण मुकना के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा खोखर पूर्व पटवार मण्डल खोखर तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 1406 रकबा 155.08 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 27, 28 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादीगण के हक हिस्से एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:37:42 IST
Reason: SelfAttested

# अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

| **वादीगण** | **बनाम** | **प्रतिवादी** |
|---|---|---|
| चतरू वगैरा | | गोमाराम वगैरा |

**दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

राजस्व वाद संख्या–106 / 2016. **निर्णय दिनांक :– 28.10.2020**

वादीगण की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस.. वाद में आज तारीख 28.10.2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर मौजा खोखर पूर्व पटवार मण्डल खोखर तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 1406 रकबा 155.08 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 27, 28 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादीगण के हक हिस्से एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें। तहसीलदार गिड़ा निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

**(विवेक व्यास)**

**सहायक कलक्टर एवं**

**उपखण्ड अधिकारी, बायतु**

## वाद के खर्चे

| वादी | रुपया | प्रतिवादी | रुपया |
|---|---|---|---|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प<br>4. ........... रुपये पर प्लीडर की फीस<br>5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय<br>6. कमिश्नर की फीस<br>7. आदेशिका की तामिल | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | |
| जोड़ | | जोड़ | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:37:42 IST
Reason: SelfAttested

**वादीगण**

1. चतरू पुत्री किसनाराम पत्नी किरपाराम जाति जाट निवासी खोखर पूर्व हाल निवासी हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
2. नेनू पुत्री किसनाराम पत्नी सालूराम जाति जाट निवासी खोखर पूर्व हाल निवासी मानासर तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर
3. अणछी पुत्री किसनाराम पत्नी नारणाराम जाति जाट निवासी खोखर पूर्व हाल निवासी हेमावास, शेरगढ़ जिला जोधपुर
4. पपू पुत्री मोटाराम माता झीमों पुत्री किसना जाति जाट निवासी कुम्पलिया तहसील गिड़ा
5. बाबूराम पुत्र कुम्भाराम माता गवरी पुत्री किसना जाति जाट निवासी खोखर पश्चिम तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

**बनाम**

**प्रतिवादी**

1. गोमाराम पुत्र किसनाराम
2. बगताराम पुत्र किसनाराम
3. बजरंगराम पुत्र तुलछाराम
4. रूपाराम पुत्र तुलछाराम
5. शेराराम पुत्र तुलछाराम
6. धनाराम पुत्र किशनाराम
7. शेराराम पुत्र किशनाराम
8. पदमाराम पुत्र किशनाराम
9. गोरधनराम पुत्र किशनाराम
10. भोमाराम पुत्र किशनाराम
11. भोमाराम पुत्र किशनाराम
12. दीपाराम पुत्र किशनाराम
13. तिमाराम पुत्र किशनाराम
14. भैराराम पुत्र विरधाराम फौत के कायम मुकाम
    14/1. भोपाराम पुत्र भैराराम
    14/2. चूनाराम पुत्र भैराराम
    14/3. खरथाराम पुत्र भैराराम
    14/4. देवाराम पुत्र भैराराम
15. बलवीर पुत्र केशाराम
16. सुगणीदेवी पत्नी केशाराम प्रतिवादी संख्या 15 बलवीर नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुगणीदेवी पत्नी केशाराम
17. निम्बाराम पुत्र लुम्बाराम
18. सम्पतराज पुत्र लुम्बाराम
19. गंगाराम पुत्र लुम्बाराम
20. दुर्गाराम पुत्र लुम्बाराम
21. रावताराम पुत्र आदूराम
22. मोटाराम पुत्र आदूराम
23. ठाकराराम पुत्र आदूराम
24. हनुमानराम पुत्र आसूराम
25. फातूदेवी पत्नी आसूराम
26. खीयाराम पुत्र वेहनाराम फौत के कायम मुकाम
    26/1. मूलाराम पुत्र खींयाराम
    26/2. बाबूराम पुत्र खींयाराम
    26/3. हरखू पत्नी खींयाराम
27. भूरी पुत्री हीरों
28. बाबू पुत्री हीरों
29. कुम्भाराम पुत्र हुकमाराम फौत के कायम मुकाम
    29/1. जवाराराम पुत्र कुम्भाराम
    29/2. भंवराराम पुत्र कुम्भाराम
    29/3. गिरधारी पुत्र कुम्भाराम
    29/4. प्रकाश पुत्र कुम्भाराम
30. लालूराम पुत्र हुकमाराम
31. देवाराम पुत्र हुकमाराम
32. चंदाराम पुत्र राजूराम
33. आसूराम पुत्र हरूराम
34. हेमाराम पुत्र हरूराम
35. विरेन्द्र पुत्र हरूराम
36. जवाराराम पुत्र हरूराम
37. हरखाराम पुत्र खेताराम
38. रावताराम पुत्र खेताराम
39. सोनाराम पुत्र सुरताराम
40. चनणाराम पुत्र सुरताराम
41. चौथी पत्नी सुरताराम जाति जाट निवासी खोखर पूर्व तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
42. राजस्थान सरक[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:37:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु